7/5/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधि. अन्य कार्यों में व्यस्त है व अन्य आदेशों की पालना में दिनांक 13/5/22 को पेश हो।

[illegible]

13/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थनापत्र को पूर्व में रा० फौ० अदालत केम्प दिनांक 12/3/22 को तत्कालीन अप्रार्थी सं० 2 की मृत्यु हो जाने से खारिज किया गया परन्तु नं 2 अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आया। तहसीलदार लालसोट को बाबत रिपोर्ट हेतु लिखा, जिस पर नं० 2 अप्रार्थी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल मिसल की गई। नं० 2 अप्रार्थी की एकतरफा की जाती है। प्रार्थनापत्र पर वकील प्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पत्रावली स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को निर्देशित अप्रार्थी का नामान्तरण कर उत्तराधिकारी कायम करने के आदेश दिये जाकर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :–16/21
रज्जू दिनांक 01–04–2021

पीठासीन अधिकारी
श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)

रामकिशोर आत्मन स्व. मूलचन्द उम्र 60 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम राजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादी)

बनाम्

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार महोदय तहसील लालसोट जिला दौसा
2. जन्सी पुत्र जगदीश मीना निवासी राजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा

(प्रतिवादीगण)

प्रार्थना पत्र वास्ते करवाये जाने पत्थरगढी

निर्णय

दिनांक : 23/5/22

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम राजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित खसरा नं0 249/131 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा है। उक्त भूमि प्रार्थी की तन्हा है। जिसका प्रार्थी रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज शुदा काबिज खातेदार काश्तकार है। आराजीयात भूमि की पृथक से नक्शा सीट में लाल स्याही से पुख्ता तरमीम भी हो रही है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के चारो तरफ खाम डोला पीढ़ियो से लगा हुआ है परन्तु प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवा कर मुताबिक रकबा जमाबंदी मौके पर पत्थरगढी कायम करवाना चाहता है। दिनांक 25–03–2021 को जब प्रार्थी अपने गांव राजपुरा गया हुआ था तब उसने अपनी जमीन को जाकर देखा तो मौके पर चारो तरफ से डोले फंसे हुए मिले जब उसने लोगो से पूछा तो बताया कि आपकी गैर मौजुदगी में चारो तरफ के लोग डोले को फांसकर अपनी जमीन मे मिला लेते है। इसी कारण से प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करवाना मुनासिफ हुआ है। प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

Scanned with CamScan

खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना मुनासिफ हुआ है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मंजूर फरमाया जाकर खसरा नं0 249/131 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि ग्राम राजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान मौके पर जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढ़ी कायम करवाई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी से पत्थरगढ़ी बाबत रिपोर्ट ली गई व अप्रार्थी संख्या 2 की तलबी लोक अदालत में जारी की गई जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 के बच्चे को पुलिस थाना लालसोट द्वारा सूचित किया गया बावजूद सुचना के अनुपस्थित रहा जिसकी एकतरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी को सुना गया प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी एवं तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया तहसील लालसोट ने अपनी रिपोर्ट में विवादित आराजी खसरा नं0 249/131 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि ग्राम राजपुरा तहसील लालसोट की भूमि वर्तमान में मौके पर खाली होना अंकित किया जिससे वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिए जाते है कि दो कुशल गिरदावर/पटवारीयान की टीम गठित कर आराजी खसरा नं0 249/131 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि ग्राम राजपुरा तहसील लालसोट वाली भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी कायम करावे साथ ही नियमानुसार राजकीय शुल्क प्रार्थी से प्राप्त करें एवं आवश्यकता पडने पर थानाधिकारी लालसोट से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। इस आशय की तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

Scanned with CamScanner